बीमार औद्योगिक इकाइयों को चलाने के लिए नई नीति जल्द

अमर उजाला ब्यूरो

पुनर्वासन व पुनरोत्थान नीति का मसौदा तैयार

कैबिनेट से मंजूरी के बाद होगा लागू

लखनऊ। प्रदेश में बीमार व बंद औद्योगिक इकाइयों के चलाने के लिए सरकार एक नीति बनाने जा रही है। नीति से संबंधित मसौदा तैयार कर लिया गया है। अब शासन इस पर विचार-विमर्श कर कैबिनेट से मंजूरी लेने की कार्यवाही करेगा।

शासन ने प्रदेश की बीमार व बंद औद्योगिक इकाइयों को चलाने के लिए 'रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्वासन एवं पुनरोत्थान नीति-2021' लाने की योजना तैयार की है। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में औद्योगिक विकास विभाग, राज्य कर विभाग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम-उद्यम विभाग तथा ऊर्जा विभाग के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा कर नीति का मसौदा तैयार कर लिया गया है। नीति के अंतर्गत उन बीमार इकाइयों को लेने का भी प्रस्ताव है जो पिछले 10 वर्षों में कम से कम 5 वर्ष तक उत्पादनरत रही हों। कम से कम 50 प्रतिशत हानि हुई हो और बैंक या वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण को आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार संदिग्ध करार दिया गया हो। मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां इसके अंतर्गत ली जाएंगी। निवेशक इसमें कुछ संपत्ति को बेचने या खरीदने का आवेदन कर सकेंगे।

नीति के अंतर्गत पात्र इकाइयों को कई तरह का प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके अंतर्गत जीएसटी छोड़कर ऊर्जा व राज्य सरकार के विभिन्न तरह के बकाये शुल्क की अदायगी से छूट देने की योजना है। बीमार इकाइयों को 10 छमाही किस्तों में तय धनराशि की अदायगी करनी होगी। चक्रवृद्धि ब्याज व दंड से माफी दी जा सकती है। इकाइयों को इंट्रेस्ट फ्री लोन, ब्याज पर सब्सिडी देकर नए सिरे से इकाइयों के संचालन में सहयोग देने का भी प्रस्ताव है। नीति के क्रियान्वयन के लिए पिकप को नोडल एजेंसी नामित किया गया है।